न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **09/2026** (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
GCMS NO :– **2026/73**
दायर दिनांक :– **04.05.2026**
निर्णय दिनांक :– **14.05.2026**

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये **श्री प्रेम चंद शर्मा**, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– **प्रार्थी**

बनाम

1. कल्पेश नागर पुत्र श्री बंशीलाल नागर (विक्रेता एवं फर्म मालिक) निवासी मंदिर चौक, गढ़बोर, चारभुजा जिला राजसमंद। मैसर्स श्री मनमोहन मिष्ठान भण्डार, मंदिर चौक, गढ़बोर, चारभुजा जिला राजसमंद।

– **विपक्षी**

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 13.03.2024 व 16.03.2024 के अनुसरण में प्रेम चंद शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर सबस्टैण्डर्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है श्री कल्पेश नागर पुत्र श्री बंशीलाल नागर निवासी मंदिर चौक, गढ़बोर, चारभुजा जिला राजसमंद (विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स श्रीमनमोहन मिष्ठान भण्डार, मंदिर चौक, गढ़बोर, चारभुजा जिला राजसमंद पर दिनांक 05.08.2025 को 01.00 पी.एम. वास्ते चेकिंग पहूंचे। उक्त निरीक्षण के समय परिसर में लगभग 5–6 किलोग्राम कलाकन्द ट्रे में आम जनता के लिये विक्रय हेतु रखे हुए थे। एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर खाद्य पदार्थ कलाकन्द 02 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रु. 800/– (आठ सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, उपस्थित गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ कलाकन्द के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5 ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि खरीदशुदा खाद्य पदार्थ कलाकन्द के 04 नमूना भाग तैयार किये चारों नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार किये जिन पर विवरण आदि अंकित किया। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर AI-2413 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 06 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 06 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न. 6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद ने पत्र क्रमांक : एफएसएसए/2025/3769 दिनांक 26.08.2025 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./517/एक्ट 2025/517 दिनांक 18.08.2025 संलग्न कर विक्रेता व मुझे दी गई जिससे ज्ञात हुआ कि AI-2413 खाद्य पदार्थ कलाकन्द का नमूना सबस्टैण्डर्ड *(Substandard)* होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षी द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि उसके द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है तथा भविष्य में ऐसी गलती नही दोहराई जावेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का खाद्य पदार्थ कलाकन्द सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। अतः अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) खाद्य पदार्थ कलाकन्द का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

P.T.O.

अतः अपराध कारित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 के अंर्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विपक्षी श्री कल्पेश नागर पुत्र श्री वंशीलाल नागर निवासी मंदिर चौक, गढ़बोर, चारभुजा जिला राजसमंद (विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स श्रीमनमोहन मिष्ठान भण्डार, मंदिर चौक, गढ़बोर, चारभुजा जिला राजसमंद पर 15,000 रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित कि जाती है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लघन नहीं करे, विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि ''चालान द्वारा आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के राजस्व मद में फैसल दिनांक से एक माह की अवधि में आवश्यक रूप से जमा करा पावती प्राप्त करें। नियत अवधि में शास्ति राशि जमा न कराने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार इसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल किया जाएगा एवं जुर्माना जमा होने तक विपक्षी का लाइसेंस निलंबित माना जाएगा।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर, टकिंत कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द